न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 17 / 2021

अनवान :–

इन्द्राज पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी भूकरका तहसील नोहर सायल

बनाम

1. भतेरी पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. मंजुबाला पत्नी सुनिल कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनोज कुमारी पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैर सायलानान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अभिभाषक, प्रार्थी
श्री विजयसिंह कडवासरा अधि.गैरसायलान
निर्णय दिनांक : 2/11/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 45 / 38 की कुल 2.7830हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

गैरसायलान की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 152 / 143 की कुल 3.5420हैक बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि के मु0न0 69 के किला न0 16–25 में से मंजुर शुद्वा रास्ता से जो दक्षिण से उत्तर मंजुर शुद्वा रास्ता है तथा सायल गैरसायलान के खेत मु0न0 69 के किला न0 22 ता 25 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलकर अपने खेत के किला न0 21 में प्रवेश करता है तथा सदा से यही आवागमन का नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के किये नही है सायल उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

सायल ने गैरसायलान को रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 297 / 403 मु0न0 69 के किला न0 22 से 25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु कई दफा कहा किन्तु कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 297 / 403 मु0न0 69 के किला न0 22 से 25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम एक एक विश्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए जबाव पेश किया की

प्रार्थना पत्र सायल युक्ति युक्त आधारो पर आधारित नही है तथा संधारण योग्य नही है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नही दर्शाया कि खेत से गांव किस तरफ है तथा यह गांव से चलकर किन– किन किला मुरब्बा पत्थर से चलकर अपने खेत तक आता जाता है जबकि सायल के लिये मुरब्बा नम्बर 67 ,68 में से नजदीकी व सुविधाजनक है तथा सायल के खेत का मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 22 ता 25 में दक्षिण तरफ पूर्व में पश्चिम कभी रास्ता नही रहा है तथा ना ही नजदीकी व सुविधाजनक है सिचाई विभाग के द्वारा 1965 में किलाबन्दी के मुताबिक उत्तर से दक्षिण के रास्ते विषम संख्या की पत्थर लाईन के किला न0

Scanned with CamScanner

5 ,6 ,15 ,16 ,25 में से दिया जाना प्रस्तावित है पूर्व से पश्चिम सम संख्या पर किला न0 1 ता 5 में होना चाहिये जबकि सायल नियम विरूद्ध किला न0 21 ता 25 में रास्ता की मांग कर रहा है।

सायल सिचाई के नियमो के विरूद्ध जाते हुए रास्ते की मांग कर रहा है सिचाई विभाग के नियमुनसार किला न0 21 ता 25 में खाला होना चाहिये तथा किला न0 1 ता 5 में रास्ता होना चाहिये मगर सायल ने नियम विरूद्ध किला न0 22 ता 25 जो मुरब्बा न0 69 में पडता है जो चार किला दुरी पर है जबकि उक्त मुरब्बा संख्या 69 में सायल की तीन बीधा भूमि है सयल के मुरब्बा नम्बर 68 में 8 किला पडते है जिसके लिये एक किला दुरी पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के लिये गावं से चलकर मु0न0 68 के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसप्रकार मु0न0 69 सायल की भूमि से अधिक दुरी पर है मु0न0 68 एक किला दुरी पर है जो सुविधाजनक एवं है सायल के पास पहले से रास्ता उपलब्ध है सायल अपने चिपते काश्तकारो से साज कर गैरसायल के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है सायल का प्रार्थना पत्र 251 के प्रावधानो में नही आता है सायल गैरसायल के खेत के बीचो बीच रास्ता चाहता है जिससे गैरसायल के टुकडे हो जाते है जिससे भूमि काश्त योग्य नही रहेगी केवल गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज फरमावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट पेश की जा चुकी है शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल की रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 45/38 की कुल 2.7830हैक्ट भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

गैरसायलान की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 152/143 की कुल 3.5420हैक्ट बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि के मु0न0 69 के किला न0 16-25 में से मंजुर शुद्वा रास्ता से जो दक्षिण से उत्तर मंजुर शुद्वा रास्ता है तथा सायल गेरसायलान के खेत मु0न0 69 के किला न0 22 ता 25 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलकर अपने खेत के किला न0 21 में प्रवेश करता है तथा सदा से यही आवागमन का नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के किये नही है सायल उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल युक्ति युक्त आधारो पर आधारित नही है तथा संधारण योग्य नही है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नही दर्शाया कि खेत से गांव किस तरफ है तथा यह गांव से चलकर किन- किन किला मुरब्बा पत्थर से चलकर अपने खेत तक आता जाता है जबकि सायल के लिये मुरब्बा नम्बर 67 ,68 में से नजदीकी व सुविधाजनक है तथा सायल के खेत का मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 22 ता 25 में दक्षिण तरफ पूर्व में पश्चिम कभी रास्ता नही रहा है तथा ना ही नजदीकी व सुविधाजनक है सिचाई विभाग के द्वारा 1965 में किलाबन्दी के मुताबिक उत्तर से दक्षिण के रास्ते विषम संख्या की पत्थर लाईन के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में से दिया जाना प्रस्तावित है पूर्व से पश्चिम सम संख्या पर किला न0 1 ता 5 में होना चाहिये जवकि सायल नियम विरूद्व किला न0 21 ता 25 में रास्ता की मांग कर रहा है।

सायल सिचाई के नियमों के विरूद्व जाते हुए रास्ते की मांग कर रहा है सिचाई विभाग के नियमुनसार किला न0 21 ता 25 में खाला होना चाहिये तथा किला न0 1 ता 5 में रास्ता होना चाहिये मगर सायल ने नियम विरूद्व किला न0 22 ता 25 जो मुरब्बा न0 69 में पडता है जो चार किला दुरी पर है जवकि उक्त मुरब्बा संख्या 69 में सायल की तीन बीधा भूमि है सयल के मुरब्बा नम्बर 68 में 8 किला पडते है जिसके लिये एक किला दुरी पर

Scanned with CamScanner

रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के लिये गांव से चलकर मु0न0 68 के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसप्रकार मु0न0 69 सायल की भूमि से अधिक दुरी पर है मु0न0 68 एक किला दुरी पर है जो सुविधाजनक एवं है सायल के पास पहले से रास्ता उपलब्ध है सायल अपने चिपते काश्तकारो से साज कर गैरसायल के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है सायल का प्रार्थना पत्र 251 के प्रावधानो मे नही आता है सायल गैरसायल के खेत के बीचो बीच रास्ता चाहता है जिससे गैरसायल के टुकडे हो जाते है जिससे भूमि काश्त योग्य नही रहेगी केवल गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एवं गैरसायलान दोनो ही खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज तथा एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

सायल का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 297/403 मु0न0 69 के किला न0 22 से 25 मे दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम से होता हुआ अपनी भूमि में प्रवेश करता है।

गैरसायल का कथन है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मु0न0 68 मे नजदीकी रास्ता उपलब्ध है फिर भी मु0न0 69 में 3 किला दुरी पर रास्ते की मांग की गई है विधि विरूद्व है तथा सिंचाई विभाग के नियमो के विरूद्ध है।

गैरसायल ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे गैरसायल का कथन साबित होता हो अर्थात मु0न0 68 में कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता हो जिससे सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता हो मांत्र अपने जबाव प्रार्थना पत्र में कथन किया है किसी प्रकार का साक्ष्य /सबुत पेश नही किया गया है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार गैसायलान की भूमि के किला न0 25 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस स्वीकृत रास्ता से सायल की भूमि तीन किला की दुरी पर है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर जाता है यही रास्ता सायल के द्वारा चाहा जा रहा है।

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक है इस रास्ता के आलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है नजरी नक्शा में मु0न0 68 में किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नही है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने के लिये चाहा गया रास्ता न्यायोचित है इसके अलावा सायल की भूमि में पहुचने के अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायल गैरसायल को भूमि देने को भी तैयार है जिससे गैरसायल की भूमि भी पूरी होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 297/403 मु0न0 69 के किला न0 22 से 25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में रोही मौजा चक 6 बारानी के मु0न0 69 के किला न. 20 की 4.00 विश्वा भूमि गैरसायल की भूमि के चिपते हुए गैरसायल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक राजस्व / रास्ता / 2022 / 2516 दिनांक 27/07/22

तहसीलदार
नोहर

विषय – स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र सं0 17 सन 2021 निर्णय दिनांक 27/7/2022

अनवान –

अनवान –

1. इन्द्राज पुत्र घेरूराम जाति नाई निवासी भूकरका तहसील नोहर

सायल

बनाम

1. भतेरी पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. मंजुबाला पत्नी सुनिल कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनोज कुमारी पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

–गैर सायलानान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के प0न0 297 / 403 मु0न0 69 के किला न0 22 से 25 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में रोही मौजा चक 6 बारानी के मु0न0 69 के किला न. 20 की 4.00 विश्वा भूमि गैरसायल की भूमि के चिपते हुए गैरसायल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner